राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला अजमेर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
13845	233	13612	1.7

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला अलवर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
8082	95	7987	1.2

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला बांसवाडा।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
57330	5437	51893	9.5

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाडा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला बारां।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
32249	136	32113	0.4

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला बाड़मेर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
66826	1088	65738	1.6

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला भरतपुर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
572	205	367	35.8

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला भीलवाड़ा।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
40001	778	39223	1.9

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला बीकानेर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
40495	3610	36885	8.9

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला बूंदी।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
23859	10398	13461	43.6

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला चित्तौडगढ़।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
23554	197	23357	0.8

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला चूरू।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
17725	2656	15069	15.0

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला दौसा।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
3971	112	3859	2.8

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर   दिनांक   सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला धौलपुर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
4728	761	3967	16.1

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला डूंगरपुर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
41686	10632	31054	25.5

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर   दिनांक   सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला हनुमानगढ़।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
20037	474	19563	2.4

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला जयपुर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
10812	512	10300	4.7

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला जैसलमेर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
26792	1693	25099	6.3

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला जालोर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
17538	1498	16040	8.5

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर   दिनांक   सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला झालावाड़।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
55205	1880	53325	3.4

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला झुन्झुनू।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
2024	186	1838	9.2

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला जोधपुर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
42261	1100	41161	2.6

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला करौली।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
17874	255	17619	1.4

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला कोटा।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
18257	370	17887	2.0

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला नागौर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
26003	968	25035	3.7

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला पाली।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
18251	423	17828	2.3

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला प्रतापगढ़।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
31187	1569	29618	5.0

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला राजसमन्द।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
16461	546	15915	3.3

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमन्द।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला सवाई माधोपुर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
29404	1085	28319	3.7

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला सीकर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
4655	44	4611	0.9

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला सिरोही।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
15575	1620	13955	10.4

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10211811

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला श्री गंगानगर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
31118	1640	29478	5.3

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्री गंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर   दिनांक   सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला टोंक।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
31762	1439	30323	4.5

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला उदयपुर।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण करने के क्रम में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.08.2024।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य को लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है और चालू वित्तीय वर्ष के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए ताकि वर्ष 2024–25 के लिए लक्ष्य आवंटन पर पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर किश्तों की राशि अविलम्ब हस्तान्तरित हो सके।

उक्त क्रम में अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी जिला परिषद् के साथ आयोजित वी.सी. बैठक दिनांक 14.08.2024, 20.08.2024 एवं 30.08.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2024 एवं 28.08.2024 द्वारा वरीयता सूची में शेष पात्र लाभार्थियों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी जिले की प्रगति निम्नानुसार हैः–

"आवास प्लस" वरीयता सूची अनुसार शेष पात्र परिवार	आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण अपलोड	पंजीकरण हेतु शेष परिवार	प्रतिशत पंजीकरण
76721	5335	71386	7.0

अतः योजनान्तर्गत "आवास प्लस" वरीयता सूची के शेष पात्र परिवारों के "आवास सॉफ्ट" पर पंजीकरण की कार्यवाही 07 दिवस में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.03 13:35:52 IST
Reason: Approved